परियोजना का नामः– मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या –901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य में पड़नें वाली 4.335 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 अस्कोट का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मॉग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या।</u>

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक मोटर र्माग की स्वीकृत लम्बाई 7.00 किमी0 हेतु शासन के पत्रांक संख्या 1314/ III(2) /19–42 (एम0एल0ए0) दिनांक 08–मार्च 2019 से 203.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 75.00 बलुवाकोट से प्रारम्भ होकर प्यॅया पौड़ी तक जाता है। बलुवाकोट प्ययॉ पौड़ी मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 16.400 किमी0 हैं। मार्ग के चैनेज 0.000 से 9.400 तक का प्रारम्भिक 9.400 किमी0 प्रभाग मोटर मार्ग (5.85 मी0 चौड़ाई) में निर्मित है जिसमें 3.75 carriage way में बी0टी0 है।

मार्ग के चैनेज 9.400 से 16.400 तक 7.00 किमी0 लम्बाई का प्रभाग हल्का वाहन मार्ग (4.25 मी0 चौड़ाई) में निर्मित है। इस मार्ग से पन्ता गॉव, गोठानी, प्ययॉ पौड़ी, खॅय्या, काण्डाधार एवं कम्पास गॉव की आबादी लाभान्वित होती है उक्त गॉवों को केवल इसी मार्ग से connectivity प्राप्त है। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 4.25 मी0 (L.V.R.) कम व मार्ग कच्चा होने के कारण इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन नही हो पाता है। जिससे स्थानीय लोंगों को अपने कृषि उत्पाद मुख्य बाजार मण्डी तक लाने में कठिनाई होती है। ग्रामीणें के आवासों एवं अन्य निर्माण कार्यो के निर्माण हेतु निर्माण सम्बन्धी सामग्री लाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने वा मार्ग का समरेखण चट्टानी प्रभाग से होकर गुजरने के कारण दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। मार्ग के इस प्रभाग (चैनेज 9.400 से 16.400) तक 7.00 किमी0 लम्बाई के प्रभाग को जनहित में हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परवर्तित किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पूर्ण चौड़ाई 9 मी0 में तैयार किये गये है। तथा वृक्षों की गिनती मार्ग के चौड़ीकरण हेतु वांछित अवशेष 9.00 – 4.25 = 4.75 मी0 चौड़ाई में की गयी है। अतः उक्त मार्ग हेतु 4.335 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण के पूर्व में ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर पुनः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु आन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निमार्ण आवश्यक है।

ई0 शंकर सिंह
स... क अभियन्ता
.लो0 नि0 वि0 धारचला (अस्काट)

(ई- हेमन्त चन्देला)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)